दिनांक: 08th November, 2023

कैन्टीन कमेटी

**केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली -** 173204

Notice Inviting Tender

केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली की कैन्टीन को एक **(01)** वर्ष के लिए अनुबंध (ठेके) पर दिए जाने के लिए आम जनता से निर्धारित प्रपत्र पर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं | आवेदन प्रपत्र दिनांक **09-11-2023** से श्री मनीष वर्मा, बॉटलिंग अनुभाग एवं श्री रमेश चोपड़ा, उपचार केंद्र (डिस्पेंसरी) से कार्यालय समय में **₹ 1000** का भुगतान करके लिया जा सकता है | केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली की वेबसाइट crikasauli.nic.in से भी आवेदन प्रपत्र डाउनलोड किया जा सकता है | डाउनलोड किये गए आवेदन तब ही स्वीकार्य होंगे जब उनके साथ **₹ 1000** का डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर/चेक **(in favor of Chairman CRI Canteen Committee)** संलग्न होगा |

पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन प्रपत्र एक बंद लिफाफे में सामान्य अनुभाग कार्यालय में दिनांक **24-11-2023** को अपराह्न 2:00 बजे तक आवश्यक रूप से प्राप्त हो जाने चाहिए | अधूरे भरे गए आवेदनों को सरसरी रूप में निरस्त (ख़ारिज) कर दिया जायेगा | आवशयक दस्तावेज संलग्न न होने की स्थिति में भी आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा | निविदाएं कांफ्रेंस हॉल में दिनांक **24-11-2023** को अपराह्न 3:00 बजे खोली जाएँगी | निविदा भरने वाले अथवा उनके प्रतिनिधि निविदा खोले जाने के समय उपस्थित रह सकते हैं |

08/11/2023

(डॉ. राजेश कुमार)

अध्यक्ष, कैन्टीन कमेटी

प्रतिलिपि:

a. निदेशक, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली - 173204 - सूचनार्थ |
b. प्रभारी अधिकारी, प्रशासन अनुभाग, के० अनु० सं०, कसौली - सूचनार्थ | एवं संस्थान की वेबसाइट पे अपलोड करने हेतु |
c. प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग, के० अनु० सं०, कसौली - सूचनार्थ |
d. सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करने हेतु |

सी0आर0आई0, कसौली में कैन्टीन चलाने के लिए निविदा आंमत्रित करने की सूचना
अन्तिम तिथि :– 24 **नवम्बर**, 2023 सांय :– 2.00 बजे तक

विषय:– केन्द्रीय अनुसंधान सस्थान, कसौली में कैन्टीन चलाने के लिए अनुबंध देने के लिए सील बन्द निविदाओं का आमंत्रण।

के0अ0सं0 कैन्टीन समिति केन्द्रीय अनुसंधान सस्थान, मुख्य परिसर, कसौली–173204 हिमाचल प्रदेश में कैन्टीन चलाने के लिए पर्याप्त अनुभव रखने वाली फर्मो से सीलबन्द लिफाफें में निविदाएं आमंत्रित करती है।

**महत्वपूर्ण तिथियां**

बोली जमा करने की अन्तिम तिथि : 24 **नवम्बर**, 2023, **दोपहर 2.00 बजे तक**
बोली खुलने की तिथि एवं समय : 24 **नवम्बर**, 2023, **सांय 3.00 बजे**

2. इच्छुक संगठन/फर्म कार्यालय समय के दौरान श्री मनीष वर्मा, बॉटलिंग अनुभाग और श्री रमेश चौपड़ा, उपचार केन्द्र से रु **1000/–** भुगतान करने के बाद निविदा आवेदन पत्र/ प्रोफार्मा प्राप्त कर सकते है।

3. सस्थान की वेबसाईट https://crikasauli.nic.in से भी निविदा आवेदन प्रोफार्मा डाउनलोड किया जा सकता है। तथापि आवेदन पर केवल तभी विचार किया जायेगा यदि रु **1000/–** का डिमांड़ ड्राफट/पो0ओ0/चैक (अध्यक्ष के0अ0सं0 कैन्टीन समिति के **खाता संख्या 10610100000836 में जमा किया जाना चाहिए** ) निविदा प्रोफार्मा के साथ सलंग्न पाया जायेगा।

4. आवेदक द्वारा निविदा आवेदन फार्म (**अनुलग्नक** I, II एवं III) विधिवत भरा और हस्ताक्षारित होना चाहिए। एक फर्म से केवल एक फार्म स्वीकार किया जायेगा। अधूरे फार्मो को अस्वीकार किया जायेगा। आवेदक को टेलीफोन न0 सहित पूरा नाम, पता बताना होगा।

5. इच्छुक फर्मो को सभी पहलुओं में आवश्यक दस्तावेजों सहित सील बन्द लिफाफे में पूर्ण निविदाएं कार्यालय समय (9.00 पूर्वाहन से 5.30 अपराहन्) में अन्तिम तिथि को या उससे पहले अर्थात 24 **नवम्बर**, 2023 **को दोपहर 2.00 बजे** तक सामान्य अनुभाग के0अ0सं0, कसौली में पहुँच जानी चाहिए।

6. **बोली लगाने वाले का वांछित विवरण और निवेदित दरें (अनुबन्ध–II और III) सील बन्द लिफाफे जिस पर स्पष्ट रूप से "के0अ0सं0 कैन्टीन के लिए निविदा" लिखा हो के अन्दर निविदा/बोली दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना होगा।**

7. उद्धृत दरें को भारतीय रुपये में प्रस्तुत करनी होगी। सभी दरें रूपये 1 की गुणक होनी चाहिए।
8. सफल बोली दाता को अध्यक्ष, के0अ0सं0 कैन्टीन समिति के पक्ष में बैंक ऑफ बड़ोदा से रू 25,000/– का डिमांड़ ड्राफट प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करवाना होगा जिसे कैन्टीन समिति द्वारा अनुबन्ध समाप्त होने पर नियम और शर्तो के अधीन अन्तिम निर्णय के बाद वापिस किया जायेगा।
9. सफल बोली दाता को पूरी तरह सुसज्जित कैन्टीन प्रदान करने के लिए वार्षिक/रखरखाव शुल्क के रूप में रू 25,000/– का भुगतान करना होगा।
10. बोली दाता को निविदा फार्म में सूचीबद्ध नियम और शर्तो के अनुसार अपनी बोलियों के साथ अपेक्षित कागजात/प्रलेख प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने की स्थिति में समिति द्वारा बोली को गैर–उत्तरदायी/अस्वीकार किया जा सकता है।
11. बोलिया समिति और प्रत्येक बोली दाता के एक प्रतिनिधि जो समिति के समक्ष उपस्थित होना चाहता है की उपस्थिति में दिनांक 24.11.2023 को दोपहर 3.00 बजे के0अ0सं0, कसौली के सम्मेलन कक्ष में खोली जायेगी।
12. वस्तुओ का मूल्य विवरण अनुबन्ध–II में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दरें भारतीय रूपये में उद्धृत की जानी चाहिए। बोली दाता को अनुबन्ध–II में दर्शाई गई सभी वस्तुओं का मूल्य कोट करना अनिवार्य है। अनुबंधित अवधि के दौरान उद्धृत मूल्य/दरें व्यापक, दृढ़ होनी चाहिए उनमें किसी भी प्रकार का बदलाव नही होना चाहिए।
13. के0अ0सं0 कैन्टीन समिति के पास किसी भी समय/अवस्था में बिना किसी कारण बताए निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है। निविदाएँ प्रस्तुत करने के बाद किसी भी पुछताछ, निविदा दस्तावेजों में समावेश/बहिष्कार नहीं किया जा सकेगा।
14. इस निविदा से सम्बन्धित सूचना या किसी प्रकार का शुद्धिपत्र https://crikasauli.nic.in में प्रकाशित किया जायेगा।
15. निविदा में दरों को उद्धत करने से पहले कैन्टीन सुविधाओं को देखने के लिए निविदाकार कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर सरंथान का दौरा कर सकते है। वे श्री रमेश चोपड़ा और श्री मनीष वर्मा से कैन्टीन की साईट देखने के लिए सम्पर्क कर सकते है।
16. सफल बोली दाता सबसे कम बोली लगाने वाला जो सभी पूर्व शर्तों/मानदंड़ो को सन्तुष्ट करना है और कैन्टीन समिति के अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।
17. प्रारम्भ में अनुबन्ध को 01 वर्ष **(01.12.2023 से 30.11.2024 तक)** के लिए दिया जायेगा जिसे समिति द्वारा उनके काम को देखते हुए आगे बढ़ाया जा सकता है।

18. कैंटीन ठेकेदार को के.अ.सं. कसौली की कैंटीन का संचालन कोविड-19 के प्रोटोकॉल, दिशानिर्देशों एवं मानक प्रक्रियाओं का सख्ती से अनुपालन करते हुए करना होगा । इस संबंध में कैंटीन समिति ठेकेदार को विस्तृत विवरण उपलब्ध कराएगी ।

19. निकट भविष्य में, ठेकेदार को के.अ.स. कसौली के शोध एवं प्रशिक्षण खण्ड में एक और कैंटीन चलाने की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा सकती है ।

20. निविदा सौंपने से संबंधित नियम एवं शर्तें अनुलग्नक-I में निर्दिष्ट हैं । किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी में मुद्रित नियम और शर्तें ही अंतिम रूप से मान्य होंगी ।

08/11/23

(अध्यक्ष, के0अ0सं0, कैन्टीन समिति)

# केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान,
# कसौली–173204(हिमाचल प्रदेश)

में

# कैन्टीन चलाने के लिए
दिसंबर 2023 — नवंबर 2024

# निविदा प्रलेख

निविदा प्रलेख प्रस्तुतकर्त्ताः–

मैसर्ज :–............................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

अनुबंधः– I

**के.अ.सं., कसौली कैन्टीन के 1 वर्ष के लिए अनुबंध के नियम एवं शर्तें।**

1 वर्ष के लिए कैन्टीन चलाने के लिए निविदा बोली और के.अ.स. कैन्टीन में संलग्न नियम एवं शर्तों के आधार पर परोसी जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के रियायती दरों का प्रोफार्माः–

i) प्रत्येक वस्तुओं की कीमत अनुबंध –II में उद्धृत की जानी चाहिए मूल्य/दरें व्यापक, स्टीक होनी चाहिए और उसमें अनुबंध के दौरान किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होना चाहिए। वस्तुओं की दरें:–(सभी दरें रू 1 के गुणक में होनी चाहिए)।

ii) सफल बोली दाता को पूरी तरह सुसज्जित कैन्टीन प्रदान करने के लिए वार्षिक/रखरखाव शुल्क के रूप में रू 25,000/– के हिसाब से भुगतान करना होगा।

iii) सफल बोलीदाता को **अध्यक्ष के.अ.सं. कैन्टीन समिति के पक्ष में (खाता संख्या 10610100000836) प्रतिभूति राशि के रूप में रू 25,000/– का डिमांड़ ड्राफट** जमा करवाना होगा, जिसे कैन्टीन समिति द्वारा अनुबन्ध समाप्त होने पर नियम एवं शर्तो के अधीन अन्तिम निर्णय के बाद वापिस किया जायेगा।

iv) कैन्टीन समिति को बिना कारण बताए किसी भी समय/अवस्था में निविदा रद्द करने का अधिकार होगा।

v) ठेकेदार को निम्नलिखित वस्तुओं से सुसज्जित कैन्टीन उपलब्ध करवायी जायेगीः–

क) कैन्टीन सुविधा

ख) पानी और पानी शोद्धक।

ग) एकदम नया फर्नीचर(कुर्सी/टेबल)

घ) डी.टी.एच. कनेक्श्न के साथ टेलीविजन

ड.) कैन्टीन में लगे गीजर

च) डिस्पले काउंटर कम रेफ्रिजरेटर/माइक्रोवेव

छ) 03 बर्नर गैस चूल्हा, रेगूलेटर और बर्नर सहित गैस कनेक्शन (02 सिलेन्डर)। तथापि गैस की रीफिलिंग(गैर–सब्सिडी) ठेकेदार को करवानी होगी। इंडक्शन कुकर के उपयोग को छोडकर बिजली पर खाना बनाना, मिक्सर या माइक्रोवेव ओवन की अनुमति नहीं होगी।

ज) कैन्टीन के साथ उपलब्ध बर्तन।

vi) रसोई के उपकरण अर्थात् डिस्पले काउंटर कम रेफ्रिजरेटर, गैस चूल्हा, गीजर, माइक्रोवेव,, आर. ओ. प्यूरीफायर और मिक्सर/ग्राइंडर चालू अवस्था में ठेकेदार को सौंप दिए जाएंगे और उपरोक्त वस्तुओं को क्षतिग्रस्त या खराब होने की स्थिति में उसे ठेकेदार द्वारा मरम्मत करवाई जायेगी।

vii) ठेकेदार कैन्टीन की उच्च मानक सफाई बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा।

viii) ठेकेदार को दैनिक आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवानी होगी तथापि वैकल्पिक वस्तुओं को ठेकेदार की इच्छा के अनुसार परोसा जा सकता है। निविदा स्वीकृति के समय निर्धारित दरों को समिति के अनुमोदन के बिना बदला नहीं जा सकता है।

ix) कैन्टीन का समय सभी कार्य दिवसों **(सोमवार से शुक्रवार)** में सुबह 8:30 बजे से सांय 6:30 बजे तक होगा। इसके अलावा यदि निदेशक कार्यालय और संघ कार्यालय कार्य दिवस के 6:30 बजे के बाद ठेकेदार की सेवा चाहते हो तो ठेकेदार को इसका अनुपालन करना होगा और ठेकेदार को केवल 2 घंटे पहले सूचित करने पर अपनी सेवा 7.00 बजे तक **बढ़ानी** होगी।

x) ठेकेदार को चाय, कॉफी, दूध और उन खाने वाली वस्तुओं आदि की आपूर्ति करनी होगी जिनकी निदेशक कार्यालय और के.अ.सं., कसौली के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मांग की जाये चाहे वें अनुबन्ध में न हो लेकिन ऐसी वस्तुओं की कीमत एम.आर.पी. दरों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

xi) कैन्टीन में धुम्रपान करने की सख्त मनाही है। तंबाकू/सिगरेट/बीड़ी की बिक्री की अनुमति नहीं है।

xii) कैन्टीन को एक वर्ष **(01.12.2023 से 30.11.2024 तक)** की अवधि के लिए अनुबन्ध पर इस शर्त पर दिया जायेगा कि यदि ठेकेदार का प्रदर्शन सन्तोषजनक नहीं पाया गया तो उनका अनुबन्ध किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। ऐसे मामले में प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी। के.अ.सं. कैन्टीन समिति कैन्टीन की मॉनिटरिंग और समीक्षा करेगी। यदि ठेकेदार की सेवा अच्छी होती है तो समिति नवीन नियम एवं शर्तो के साथ अनुबन्ध को आगामी एक या एक से अधिक वर्षो के लिए विचार कर सकती है।

**xiii) निकट भविष्य में, ठेकेदार को के.अ.स. कसौली के शोध एवं प्रशिक्षण खण्ड में एक और कैंटीन चलाने की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा सकती है।**

xiv) ठेकेदार मेन्यू/दरों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेगा।

xv) सफल बोली दाता को सुनियिचत करना होगा कि कच्ची सामग्री जिसका प्रयोग खाना पकाने (चाय, कॉफी, मसाले, तेल, दूध, मक्खन, खाद्य सामग्री, सब्जी आदि) के लिए हो बहुत अच्छी गुणवत्ता और मानव उपभोग के लिए सुरक्षित होनी चाहिए। कैन्टीन समिति के पास किसी भी समय सामग्रियों को जांचने का अधिकार होगा। किसी भी खाद्य विषाक्तता/संदूषण की स्थिति

मेंए ठेकेदार पूर्ण रूप से जिम्मेवार होगा यदि खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता घटिया पाई गई तो कैन्टीन समिति के पास जुर्माना लगाने सहित अनुबन्ध को निरस्त करने का अधिकार होगा

xvi) भोजन तैयार करने के लिए उपयोग में लाये जाने वाले खाद्व तेल/मीडिया/मसाले मानक खाद्य ग्रेड गुणवत्ता के होने चाहिए जिसे केन्टीन समिति द्वारा अनुमोदित किया हो।

xvii) के.अ.सं. कैन्टीन समिति बिना कारण बताए या मुआवजा दिए बिना किसी भी एक अथवा बोलियो को पूर्ण या आंशिक रूप सें या सभी बोलियों को अस्वीकार करने तथा न्यूनतम बोली लगाने वाले को ठेका देने का अधिकार प्राप्त होगा। इस सम्बन्ध में समिति का निर्णय अन्तिम और सभी को बाध्यकारी होगा।

xviii) ठेकेदार यदि चाहे तो अनुबन्ध अवधि के दौरान कम से कम 03 महीने से कम की अवधि की सूचना लिखित रूप से देकर अनुबन्ध समाप्त कर सकता है। ठेकेदार को परिसर खाली करना होगा और प्रारम्भ में उपलब्ध करवाये गये सभी वस्तुओं के साथ रसोई के बर्तन/उपकरण, के.अ.स. कैन्टीन समिति को सौंपने होगें। के.अ.स. कैन्टीन समिति का निर्यण अन्तिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।

xix) ठेकेदार को और कैन्टीन के विधानिक और अन्य दायित्व वहन करने के लिए अपनी लागत पर अपेक्षित/पर्याप्त कर्मचारी नियुक्त करने होगें। के.अ.सं. के चिकित्सा अधिकारी उनकी चिकित्सा स्वस्थता की जांच करेंगे। ठेकेदार उनके द्वारा नियोजित किए गए कर्मियों के सम्बन्ध में श्रम कानूनों के अनुपालन के लिए जिम्मेवार होगा। ठेकेदार अपने श्रमिकों के लिए नियोक्ता होगा और के0अ.सं. ठेकेदार और उसके श्रमिकों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के लिए पूरी तरह या आंशिक रूप से जिम्मेवार नही ठहराया जायेगा।

xx) ठेकेदार उसके द्वारा तैनात किए गये व्यक्तियों के पूर्व–आचरण के सत्यापन के लिए जिम्मेवार होगा। ठेकेदार उस श्रमिक को नहीं रख सकता जिसका ट्रेक रिकॉर्ड अच्छा न हो। उसे किसी भी अपराध/जुर्म/पुलिस मामले में लिप्त नहीं होना चाहिए।

xxi) कैन्टीन कार्यकर्ता या उसके किसी कर्मचारी को चोट/मृत्यु के कारण किसी भी दुर्घटना के मामले मे दायित्व/जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी। के0अ0सं0 ऐसे मामलों में किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं होगा।

xxii) खाने के अनुमोदित दरों को कांउटर/सूचना पट्टों पर स्पष्ठ रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाजी वस्तुओं की अनंतिम सूची अनुबन्ध II में है। तथापि वह के.अ.सं. कैन्टीन समिति से दरें अनुमोदित कर मांग/खपत आदि के अनुसार वस्तुओं को जोड़ सकता है।

xxiii) के.अ.सं. कैन्टीन समिति ठेकेदार और उसके कर्मचारियों के लिए आवास प्रदान करने के लिए जिम्मेवार नहीं होगी।

xxiv) ठेकेदार आबंटित स्थान के किसी भी हिस्से में किसी ज्वजनशील या अन्यथा खतरनाक सामग्री, माल, नशीले पदार्थों या दवाओं का स्टॉक नहीं करेगा जिससे के.अ.सं. के संपत्ति या कर्मियों को आग और स्वास्थ्य के लिए खतरा हो।

xxv)विभिन्न सरकारी निकायों अथवा नगर निगम से खानपान सेवाओं को चलाने के लिए आवश्यक लाईसैंस/अनुमति प्राप्त करना और तैयार रखना और सबन्धित प्राधिकारी के पूछने पर उसे प्रस्तुत करने के लिए ठेकेदार की एकमात्र जिम्मेवारी होगी। इस आश्य का एंक वचनपत्र ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत करना होगा।

xxvi) नियम और शर्तों की एक प्रति जिसे निविदाकर्ता द्वारा अपना अभिप्राय और सहमति के टोकन के रूप में विधिवत हस्ताक्षरित प्रति बोली के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

**xxvii) कैंटीन ठेकेदार को के.अ.सं. कसौली की कैंटीन का संचालन कोविड-19 के प्रोटोकॉल, दिशानिर्देशों एवं मानक प्रक्रियाओं का सख्ती से अनुपालन करते हुए करना होगा | इस संबंध में कैंटीन समिति ठेकेदार को विस्तृत विवरण उपलब्ध कराएगी |**

मैं उपरोक्त शर्तो को स्वीकार करता हूँ।

(निविदादाता का नाम, पदनाम एव पूर्ण हस्ताक्षर)

Serial No.:____________ Dated.____________ Initial Sign:______________

Annexure II

## PRICE BID FORMAT

| S. No. | Item Name | Quantity | Rate Quoted |
|---|---|---|---|
| i. | **Breakfast:** | | |
| 1. | Stuffed/Aalu-Parantha – 1 no., curd/tea | 01 no. | |
| 2. | Bread (02 nos) with Amul butter slice (02 nos)., and tea | 01 no. | |
| 3. | Sabji., Puri (04 pcs) and tea | 01 plate | |
| ii. | **Lunch** | | |
| 1. | Thali Lunch Half: (Rice + 2 Chapati + Dal/Kadhi OR Veg Sabji + 4 Chapati) Dal and sabji should be changed everyday | 01 Thali | |
| 2. | Thali Lunch Full: (Rice + 4 Chapati + Dal/Kadhi + Veg Sabji + Raita/dahi + Salad) Dal and sabji should be changed everyday | 01 Thali | |
| iii. | **Snacks** | | |
| 1. | Samosa – 100 g approx.. | 01 no. | |
| 2. | Bread Pakora with stuffing | 01 no. | |
| iv. | **Beverages** | | |
| 1. | Tea | 01 no. | |
| 2. | Tea Special (extra milk, ginger, cardamom) | 01 no. | |
| 3. | Coffee | 01 no. | |
| 4. | Green (Dip) Tea | 01 no. | |
| v. | **ON MRP (Cold drinks, biscuits, namkeen, juice, lassi etc.)** | | |
| | **Full Name of the Applicant:** | | |
| | **Complete Address:** | | |
| | **Contact Nos:** | | |
| | **Signature:** | | |

I accept the above conditions

(Name &Full signature of the Tenderer)

क0सं0 ........ दिनांक ...................... आदय् हस्ताक्षर ......................

अनुबन्ध III

## तकनीकी और वित्तीय बोली के लिए प्रोफार्मा

| क0सं | विवरण | बोलीदाता द्वारा भरा जाना है। |
|---|---|---|
| 1. | निविदादाता का नाम और पता | |
| 2. | बोली पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम | |
| 3. | मोबाईल / टेलीफोन नं0 | |
| 4. | आधार न0 | |
| 5. | पैन न0 | |
| 6. | बोली के आंमत्रण में उल्लिखित अनुबन्ध के नियम और शर्ते :– स्वीकार्य / अस्वीकार्य | |
| 7. | बेलीदाता की हैसियत जिसमें हस्ताक्षर किये हो (मालिक / पार्टनर / निदेशक) | |

8. कैन्टीन / रेस्तरां चलाने के अनुभव का विवरणः–

| क.सं. | अवधि | | सरकारी / प्राईवेट संगठन / रेस्तरां का नाम और पता |
|---|---|---|---|
| | कब से | कब तक | |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |

मैं उपरोक्त शर्तों को स्वीकार करता हूँ ।

(निविदाकर्ता के पूरे हस्ताक्षर)

9. मैं / हम निविदा दस्तावेजों के साथ सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करते है।
10. खाद्य पदार्थों की एक वर्ष के लिए हमारी दरें संलग्न सूची(अनुलग्नक I) में दी गई है।
11. मैं / हम सुसज्जित कैंन्टीन प्रदान करने के लिए प्रतिभूति राशि के रूप में रूपये 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार केवल) और वार्षिक /रखरखाव शुल्क के रूप में रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार रूपये) का भुगतान करने के लिए सहमत है।

निविदादाता के हस्ताक्षरः– ..................................................

नाम स्पष्ट अक्षरों में :– ..................................................

पदनामः– ..................................................

दिनांकः– .................................................. सील / रबड़ स्टाम्पः–..................................................